

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय कोलिरियां जो कि अश्रीन की गई थी, उसमें बहुत छोटी तथा बहुत बड़ी विभिन्न आकार की कार्यरत तथा परित्यागित दोनों स्वरूप की खानें थी। इन खानों को बड़े एककों में मिलाये जाने तथा पुनर्गठन किए जाने के बावजूद अभी भी कई पुरानी परित्यागित, अलाभकारी खाने तथा छुटपुट स्थल ऐसे होते हैं जिनमें कोयले का गैर-कानूनी रूप में उत्खनन होता है। अतः अवैध रूप में कोयले के उत्खनन की घटनाएं छुटपुट स्वरूप की हैं। अतः इसके मूल्य तथा मात्रा का मूल्यांकन लगाया जाना कठिन है।

(ग) गैर-कानूनी रूप में उत्खनन किए जाने से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 (1) (क) और खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किए जाने वाले क्रियाकलाप राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 30 (1) के अंतर्गत और खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 21 (1) के अंतर्गत दण्डनीय है। जब कभी भी पट्टेदारी क्षेत्रों में कोलियरीज प्राधिकारियों के नोटिस में गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किये जाने की कोई घटना नोटिस में आती है तो ऐसी स्थिति में सी आई. एस एफ. द्वारा गश्त बढ़ा दी जाती है। कभी कभी ऐसे छापे सी आई. एस एफ. तथा स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप में मारे जाते हैं। गैर-कानूनी रूप से उत्खनन किए जाने के बाद गैर-कानूनी रूप से उत्खनन में प्रयोग में लाई गई सामग्री तथा उक्त छापों के दौरान परिवहन किए गए कोयले को पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में कोयला कंपनियों द्वारा इसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है।

(घ) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। 1995-96 में भा.को.को.लि., सें. को. लि. तथा ई.को.लि. द्वारा क्रमशः 20,33 तथा 184 संबंधित पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

Ancillary SSI Units to meet CIL's requirements

3032. SHRI GOVINDRAO WAMANRAO ADIK: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government are operating a programme of anciliarisation to promote small scale and cottage industries for meeting (heregular requirement of various items of inventory by Coal India and its subsidiaries;

(b) if so, the details of the performance review of the programme undertaken for the past three years, subsidiary-wise as per standard norms of assessment;

(e) the details regarding the main achievements under the scheme-with number of units covered, employment generated, purchases made for these units etc; and

(d) the details of shortcomings that have come to notice and fresh initiatives taken/ proposed for promoting anciliarisation programme and policy of the Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

झरिया कोयला क्षेत्र के चौथाई कुली में भूमि का घसना

3033. श्री एस.एस. अहलुवालिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के धनबाद जिले में झरिया कोयला क्षेत्र के चौथाई कुली में भूमि धनान के कारण सैंकड़ों घरों में दरारें पड़ गई हैं और वहां की आबादी खतरों में पड़ गई है:

(ख) क्या यह सच है कि उस स्थान की आबादी को वर्षा के मौसम से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया गया तो यहां भारी जान माल की क्षति हो सकती है: और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थित की भयानकता को ध्यान में रखते हुए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने का विचार है ताकि इस कोयला क्षेत्र में जान माल की संभावित क्षति से बचा जा सके?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सरकार को 27.10.1996 को बिहार की झरिया कोयला क्षेत्र की चौथाई कुली में हुए घसाव की दुर्घटना के बारे में जानकारी है, जिसके कारण 219 आवासों में दरार आ गई थी।

आगामी वर्षों के दौरान चौथाईकुली में इस तरह की दुर्घटनाओं के होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) चौथाईकुली की अधिकांश भूमि जिस पर अनाधिकृत रूप में आवास तथा भवनों का निर्माण किया